

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक— 2052 / रामपुर/15575/2015, दिनांक, लखनऊ, जनवरी 03, 2018

सेवा में,

अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक(के०),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र,
केन्द्रीय भवन, पंचम तल, से०-एच, अलीगंज,
लखनऊ।

विषय : रामपुर-केमरी मार्ग (ओ०डी०आर० नं०-20) किमी० 3.135 की बायीं पट्टी पर ग्राम-पहाड़ी के गाटा से०-140 में एस्सार ऑयल लि० द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0555 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 05 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ : भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यूपी/06/34/2016/एफसी/642, दि० 29.11.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें, जिसके द्वारा मूल टोपोशीट में पूर्ण ब्यौरा अंकित करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित मूल प्रति उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी। उक्त अभिलेख सम्बन्धित कार्यालय से अपेक्षित थे।

उक्त के कम में प्रभागीय निदेशक, रामपुर के पत्रांक-1587/5-3, दि० 26.12.2017 द्वारा मूल टोपोशीट में पूर्ण ब्यौरा अंकित करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित मूल प्रति इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। अतः उक्त पत्र एवं मूल टोपोशीट की एक प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि प्रकरण में स्वीकृति निर्गत करने की कृपा करें।

संलग्नक:उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आर० आर० जमुआर)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक— 2052 / , उक्त दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2, लखनऊ को संलग्नक सहित।
- 2- वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।
- 3- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, रामपुर।
- 4- डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि०, ए-5, से०-3, नोएडा।

(आर० आर० जमुआर)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ०प्र०, लखनऊ।